193

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–पन्ना

1– सेवाराम पुत्र स्व श्री मुकन्दी यादव

2– सुभद्रा पत्नी स्व. श्री मुकन्दी यादव

निवासीगण–ग्राम धनौजा तहसील व जिला पन्ना (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला पन्ना (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पन्ना जिला पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ–6(अ)/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 11.07.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम धनौजा में स्थित आराजी क्रमांक 81 रकवा 1.00 है0 का भूमि स्वामी पट्टा राजस्व प्रकरण क्रमांक 393/अ–19 (ब) वर्ष 1986–87 के आधार पर आवेकदकगण के पिता मुकुन्दी को दिया गया था। जिसपर आवेदकगण के पिता पूर्व से काबिज थे।

2– यहकि, तत्कालीन कलेक्टर द्वारा उक्त प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेते हुये कुछ निर्देशो के साथ तहसीलदार को जॉच हेतु वापिस किया गया था जिसपर कोई कार्यवाही न होने व मुकन्दी का स्वर्गवास हो जाने से मौके की जॉच कराये जाकर उक्त पट्टा का अमल आवेदकगण के नाम किये जाने का निवेदन किया गया था। जिसपर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया हल्का पटवारी ने आराजी क्रमांक 81/1 के रकवा 1.00 है0 पर आवेदकगण का कृषि कर कब्जा होना लेख किया गया था इसी दौरान ...मना पिता कलूवा गौड निवीस धनौजा ने पट्टे का अमल न किये जाने ... आपत्ति पेश की थी। तत्पश्चात् नायब तहसीलदार पन्ना द्वारा प्रकरण ...4/अ–6 (अ)/2012–13 पंजीबद्ध कर अपने आदेश दिनांक 30.01.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2017/3546 सेवाराम विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पन्ना जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 28/अ-6(अ)/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 11-07-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 8/1/19
सदस्य